

म०प्र० कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

'चयन भवन' मुख्य मार्ग क्रं.1, चिनार पार्क(पूर्व), भोपाल (म.प्र.) - 462011

टेलीफोन नं. : (0755) 2578801-02 फैक्स नं. : 0755-2550498

वेबसाईट : www.esb.mp.gov.in



परीक्षा-परिणाम

सूबेदार/उपनिरीक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2025 (प्रथम चरण)

ऑनलाईन परीक्षा तिथि : 16.01.2026 से 21.01.2026

परीक्षा परिणाम तिथि : 12th मार्च 2026


परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी मण्डल की
वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध है।


म0प्र0 कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल
सूबेदार/उपनिरीक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन
परीक्षा-2025 प्रथम चरण (ऑनलाईन परीक्षा)

कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा दिनांक 16.01.2026 से 21.01.2026 को म.प्र. के 11 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खण्डवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन में सूबेदार/उपनिरीक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2025 प्रथम चरण (ऑनलाईन परीक्षा) का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा परिणाम के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

1. पुलिस मुख्यालय द्वारा अंतिम रूप से उपलब्ध कराए गए सीधी भर्ती के कुल 500 रिक्त पदों हेतु ऑनलाईन परीक्षा का आयोजन किया गया था। कुल 5734 अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए पात्र हुए हैं। श्रेणी अनुसार 10 गुना संख्या में अंतिम उम्मीदवार के बराबर Percentile प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा का अवसर दिया गया है, भले ही कुल संख्या 10 गुना से अधिक हो जावे।
2. परीक्षा उपरांत मण्डल द्वारा आदर्श उत्तर कुंजी वेबसाईट पर अपलोड किये जाकर अभ्यर्थियों से अभ्यावेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसमें प्राप्त अभ्यावेदन अनुसार कुंजी समिति के निर्णय उपरांत Percentile के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है।
3. द्वितीय चरण लिखित परीक्षा के लिए योग्य आवेदकों की समस्त जानकारियों, दस्तावेजों, प्रमाण-पत्रों इत्यादि का सत्यापन व परीक्षण पुलिस मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।
4. परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी ई.एस.बी. की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है। जहाँ से अभ्यर्थी स्वयं का परीक्षा परिणाम, द्वितीय चरण हेतु पात्र आवेदकों की पी.डी.एफ. प्राप्त कर सकते हैं।
5. परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत यदि कोई तकनीकी त्रुटि संज्ञान में आती है, तो परिणाम में सुधार करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
6. नियमपुस्तिका के नियम क्रं. 2.9 (अ) पृष्ठ क्रं. 29 में उल्लेखित बिंदू क्रं. 12 "परीक्षा उपरांत, परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को यू.एफ.एम. श्रेणी मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।" के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भोपाल,
दिनांक : 12th मार्च 2026


12/3
26


नियंत्रक
म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल
भोपाल